विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तरालेख

क्रं	प्रश्न	उत्तर
13	(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० उच्चतर शिक्षा चयन आयोग अधिनियम-2006 की धारा 31 (घ) जो कि बी०एड० प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के संदर्भ में थी, में वर्णित 20 वर्ष पुरानी कट ऑफ तिथि 31 अगस्त, 2003 को संपूर्ण उ०प्र० के यू०जी०सी० तथा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित योग्यता तथा अनुभव धारित करने के बाद भी विनियमितीकरण से वंचित रह गये मात्र 10 से 15 बी०एड० प्रवक्ताओं के हित में दिनांक 01 मई, 2014 तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध 2015 से ही किया जा रहा है परन्तु इनकी संख्या कम होने के कारण इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?	जी नहीं।
	(ख) उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2023 जो उच्च शिक्षा मंत्री तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उ०प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?	जी हाँ।
	(ग) क्या उक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर कट ऑफ तिथि दिनांक 31 अगस्त, 2003 को दिनांक 01 मई, 2014 तक विस्तारित करायेंगे ?	सम्प्रति कट ऑफ तिथि विस्तारित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित मात्र बी०एड० पाठ्यक्रम के शिक्षकों को अनुरक्षण अनुदान सूची

		पर लाये जाने का निर्णय शासन द्वारा वर्ष 2006 में लिया गया था। तत्समय 23 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित थे। उक्त नीति से आच्छादित 03 महाविद्यालयों के बी०एड० संकाय को शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2006 एवं 06 महाविद्यालयों को शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2014 द्वारा आवर्तक अनुदान सूची पर लिया गया। अनुदान प्राप्त उक्त महाविद्यालयों में बी०एड० पाठ्यक्रम में अध्यापनरत शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा मूल अधिनियम 1980 में धारा 31 (घ) स्थापित की गयी, जिसकी परिधि में आने वाले सभी व्यक्तियों का विनियमितीकरण किया जा चुका है। सम्प्रति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 31-(1) द्वारा उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 को निरसित किया जा चुका है।
	(डं.) यदि हाँ, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता ।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री।